HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7696/2025

Ramhari Meena S/o Laxman Lal Meena, R/o Ambedkar Nagar, Ward No. 36, Gangapur District Sawaimadhopur (Rajasthan) (The Then Executive Engineer Public Works Department Gangapur City District Sawaimadhopur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7697/2025

Guman Singh S/o Devi Lal, R/o Village Badh Ramsar, Post Heerapur, Tehsil Talawda, District Sawaimadhopur (Raj.) Then Assistant Engineer, Public Works Department, Gangapur City District Sawaimadhopur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10547/2025

Bhuvnesh Kumar S/o Late Shri Vijay Raj Mathur, R/o 105/26, Vijay Path, Mansarovar, Jaipur Police Station Shipra Path, Jaipur (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor Cum Assistant Director Prosecution.

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11398/2025

Bhuvnesh Mathur S/o Shri Vijay Raj Mathur, R/o 105/26, Vijay Path, Mansarovar, Shipra Path Police Station Jaipur. The Then Superintendent Engineer, Public Works Deapartment, Sawai Madhopur, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor Cum Assistant Director Prosecution, Acb

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. A R Meena Mr. Prakash Chandra Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Punia, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/09/2025

उक्त चारों प्रार्थनापत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, जिला–जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 474/2011 अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र पेश किये गये हैं।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2011 में दर्ज करवाई गई थी। प्रार्थीगण का संबंधित अपराध से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्तगण अन्वेषण में भाग लेकर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। प्रार्थी–अभियुक्तगण से अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि प्रार्थी–अभियुक्तगण से उन्हें कोई अभिरक्षात्मक पूछताछ किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2011 में दर्ज करवाई गई थी। प्रार्थी–अभियुक्तगण लोक सेवक हैं। प्रार्थी–अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट किया गया है कि आवश्यकता होने पर प्रार्थीगण अन्वेषण में भाग लेकर सहयोग करने

के लिए तत्पर हैं। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा भी यह प्रकट किया गया है कि प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्तगण से अभिरक्षात्मक पूछताछ किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पुलिस थाना भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, जिला–जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 474/2011 अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रार्थीगण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रत्येक प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्त प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /42-45